

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2016 को लोक लेखा समिति की कंडिका /उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ बिहार विधान सभा/ परिषदों में दिये गये आश्वासनों के अनुपालन से संबंधित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:- उपस्थिति पंजी के अनुसार।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य का वित्त) की कंडिका- 3.4

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम कंडिका सं० एवं मौद्रिक मू०	निरिक्षण प्रतिवेदन वर्ष	कंडिका सरांश	जवाब	संबंधित पदाधिकारी द्वारा दिये गये आश्वासन	प्रधान सचिव द्वारा दिये गये निदेश	अनुपालन
1	नगर पंचायत फतुहा, अत्यधिक भुगतान के कारण राशि की हानि रु० 1.89 लाख।	02/09-10 Para No-18	मास्टर रॉल, स्कीम/योजना संचिका, एम.बी. आदि के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि रु० 1,81,720.00 की राशि का फर्जी मास्टर रॉल एवं अभिश्रव पारित कर श्री प्रदीप कुमार आर्य जे.ई./कनीय अभियंता को भुगतान किया गया था। साथ ही उन्हें रु० 7100.00 की राशि बिना अभिश्रवों के भुगतान की गई थी। कुल रु० 1,88,820.00 की राशि श्री आर्या से वसूली कर मयूनिसिपल फंड में जमा कराया जाना अपेक्षित था।	नगर पंचायत द्वारा सूचित किया जाता है कि (1) श्री प्रदीप कुमार आर्या, कनीय अभियंता पर उठाये गये आपत्ति सं०-मास्टर रॉल पर 1,81,720.00 (एक लाख एकासी हजार सात सौ बीस) रु० का अनुपालन प्रतिवेदन योजना संख्या- 01 से 10 तक ईट सोलिंग एवं टुलाई कार्य से संबंधित हैं, में कुल मजदूर 3683 (तीन हजार छः सौ तेरासी) कार्य कराने में लगा था। शेष 2360(दो हजार तीन सौ साठ) मजदूर सामग्री स्थल से कार्य स्थल पर सामग्री टुलाई कार्य में लगा।योजना कार्य में सूचना पट्ट लगा कर विपत्र संबंधित नारा प्राप्त किया था लेकिन कराये गये कार्य का मास्टर रॉल का अभिश्रव अधिक हो जाने के कारण सूचना पट्ट का विपत्र अभिश्रव के साथ संलग्न नहीं किया जा सकता। अतः कुल 6043.00(छः हजार तेतालीस) मजदूर इस कार्य में लगा है इससे कई अधिक भुगतान नहीं हुआ है।	इससे संबंधित प्रतिवेदन महालेखाकार को उपलब्ध करा दी गई है।	प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।

				(2) आकेंक्षण आपत्ति संख्या- 18 में दिनांक- 01.12.07 को 3859.00 (तीन हजार आठ सौ उनसठ) बोड़ा सिमेन्ट खरीद की गयी थी जिसे स्टोक पंजी पर अभिकर्ता द्वारा विविधवत्त संधारित किया गया है।			
2	नगर परिषद भभुआ 21 अनियमित वेतन वृद्धि रु० 0.62 लाख	31/09-10	वेतन विपत्र के नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि stagnat increment के प्रावधानों के विपरीत कुल 15 कर्मचारियों को अत्यधिक वेतन सीमा (Maximum of pay Scale) पर पहुँचने के उपरान्त भी उन्हें नियमित वेतन वृद्धि दी जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप कुल रु० 84,862.00 की राशि का अत्यधिक भुगतान हुआ।	कार्यपालक पदाधिकारी भभुआ ने अपने पत्रांक- 247 दिनांक- 06.10.12 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि कर्मियों से 74145.00 रु० वसूली की जा चुकी है। शेष तीन सुवानिवृत्त हो गये हैं उनसे कुल 10717.00 रु० वसूलनीय है।	निष्पादित कर लिया गया है।	प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।
3	नगर निगम मुजफ्फरपुर 43, सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद भी सेवा में अनियमित रूप से कार्यरत रखना (राशि 31.07 लाख)	122/09-10	विभाग के पत्र के अनुसार सभी निकाय कर्मियों जिनकी उम्र 60 साल अथवा 40 वर्ष सेवाकाल में जो कम हो उसे सेवा निवृत्त कर दिया जायेगा। नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा वर्ष 2007-08 को सरकार को भेजे गये वेतन मांग का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पूर्व में हो जाना चाहिए था, लेकिन यह सभी कर्मचारी अभी तक अनियमित रूप से कार्यरत थे तथा उनको अक्टूबर 2008 (यहां तक वेतन आकेंक्षण के समय तक दिया गया था) तक रु० 31,06,863.00 का भुगतान किया गया था, जो अनियमित था तथा जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूली योग्य है।	नगर आयुक्त नगर निगम मुजफ्फरपुर ने पत्रांक 2998 दिनांक- 25.10.12 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकारपरीक्षक के वर्ष 2010-11 (राज्य का वित्त) की कड़िका 3.4 के संबंध में आकेंक्षण प्रतिवेदन सं०- 122/09-10 एवं 362/09-10 का संबंधित पारा क्रमशः 8 एवं 6 (छायाप्रति संलग्न) महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक- LASUR/Compliance/140.66/2435 दिनांक- 23.08.12 एवं LASUR/Compliance/14115/2928 दिनांक- 15.12.12 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निस्तारित किया जा चुका है।	निष्पादित कर लिया गया है।	प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।	संबंधित नगर आयुक्त
	नगर निगम मुजफ्फरपुर 23. कर्मियों को अधिक	362/09-10	दिनांक-31.03.09 को स्वीकृत बल के विरुद्ध 721 कर्मियों के कार्यरत बल में	नगर आयुक्त नगर निगम मुजफ्फरपुर ने पत्रांक 299८ दिनांक- 25.10.12 द्वारा	निष्पादित कर लिया	प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य	संबंधित नगर आयुक्त

भुगतान के कारण रु० 37.61 की हानि		से 39 कर्मियों जो कि विभिन्न पद/संवर्ग से थे, का अधिक्य था। वर्ष 2008-09 के दौरान उक्त 39 आधिक्य कर्मियों को किये गए वेतन एवं भत्ते की भुगतान की वास्तविक राशि रु० 37,61,336.90 थी।	प्रतिवेदित किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकारपरीक्षक के वर्ष 2010-11 (राज्य का वित्त) की कडिका 3.4 के संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-122/09-10 एवं 362/09-10 का संबंधित पारा क्रमशः 8 एवं 6 (छायाप्रति संलग्न) महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक- LASUR/Compliance/140.66/2435 दिनांक- 23.08.12 एवं LASUR/Compliance/14115/2928 दिनांक- 15.12.12 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निस्तारित किया जा चुका है।	गया है।	सहित दिनांक 04.07.16 तक महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।	
30 बेकार पड़े उपकरण रु० 17.66 लाख	362/09-10	रु० 17,66,000.00 की राशि की क्रय की गयी मशीनों (चार सीट वाला चलंत शौचालय एवं 2 कैप रोड स्वीपर) के उपयोग से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं न ही लॉग-बुक उपलब्ध करायी गयी थी।	नगर आयुक्त नगर निगम मुजफ्फरपुर ने पत्रांक 2998 दिनांक- 25.10.12 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकारपरीक्षक के वर्ष 2010-11 (राज्य का वित्त) की कडिका 3.4 के संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-122/09-10 एवं 362/09-10 का संबंधित पारा क्रमशः 8 एवं 6 (छायाप्रति संलग्न) महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक- LASUR/Compliance/140.66/2435 दिनांक- 23.08.12 एवं LASUR/Compliance/14115/2928 दिनांक- 15.12.12 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निस्तारित किया जा चुका है।	निष्पादित कर लिया गया है।	प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।	संबंधित नगर आयुक्त
37. वेतन एवं भत्ते की राशि रु० 31.67 लाख	362/09-10	वर्ष 2008-09 के दौरान निगम के कर्मियों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान से संबंधित सरकार के समक्ष प्रस्तुत मांग से संबंधित अभिलेखों के जॉच में पाया गया कि 35 ऐसे कर्मियों के नाम मांग में शामिल थे जो या तो सेवानिवृत्त हो गये थो, मृत हो गये थो परंतु उनके वर्ष 2008-09 से संबंधित वेतन एवं भत्ते की मांग निगम द्वारा सरकार के समक्ष रखी गयी थी।	नगर आयुक्त नगर निगम मुजफ्फरपुर ने पत्रांक 2998 दिनांक- 25.10.12 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकारपरीक्षक के वर्ष 2010-11 (राज्य का वित्त) की कडिका 3.4 के संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-122/09-10 एवं 362/09-10 का संबंधित पारा क्रमशः 8 एवं 6 (छायाप्रति संलग्न) महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक-	निष्पादित कर लिया गया है।	प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से	संबंधित नगर आयुक्त

				LASUR/Compliance/141.66/2435 दिनांक- 23.08.12 एवं LASUR/Compliance/14115/2928 दिनांक- 15.12.12 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निस्तारित किया जा चुका है।		उपलब्ध करायें।	
4	नगर परिषद फारबिसगंज 16 वसूली की राशि का अनियमित रूप से खर्च में सीधा विनियोजन (रु० 736881.80) एवं वसूली की राशि का रोकड़पाल द्वारा नहीं जमा रु० 3.68 लाख	159/09-10	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 22 में निहित प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका द्वारा वसूल की गई सभी प्रकार की राशियों को एकमुश्त कोषागार में जमा करना तथा किसी भी हालत में उसका सीधे व्यय में विनियोजित नहीं करने का स्पष्ट प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, बिहार नगरपालिका अधिनियम 1928 की धारा 64 के अनुसार लेखापाल द्वारा वसूल की गई राशि को लेखापाल रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में तभी इन्द्राज किया जाना चाहिए जबकि रोकड़पाल द्वारा उन प्राप्तियों को नगरपालिका निधि में जमा कर दिया गया हो एवं इसका प्रमाण-पत्र लेखापाल को दे दिया गया हो। उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के बावजूद वर्ष 2008-09 में रोकड़पाल द्वारा दिनांक 18.10.08से 04.03.09 तक विभिन्न कर संग्राहकों से वसूल की गई राशि 1104673.00 रु० (विस्तृत विवरण परिशिष्ट VI (क) में दी गई है) जो विविध रसीद सं० 1176 से 1430 तक प्राप्त की गई थी, नगर परिषद निधि में जमा नहीं की गई। साथ ही लेखापाल द्वारा नियमों का उल्लंघन कर नगर परिषद निधि में वसूली की राशि को जमा किये बिना दिनांक-31.03.09 को लेखापाल रोकड़ बही के जॉच उन राशियों की (रु० 1104673.60) की प्रविष्टि की गई।	विभागीय पत्रांक- 3816 दिनांक- 15.06.16 द्वारा कुल 3,93,171.00 रु० राशि का समायोजन संबंधी सूचना महालेखाकार बिहार पटना एवं लोक लेखा समिति बिहार विधान सभा को सूचना दे दी गयी है। शेष राशि 7,11,829.00 रु० की वसूली की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।	एक सप्ताह में वसूली कर ली जायेगी तथा साक्ष्य के साथ महालेखाकार एवं विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।	प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 11.07.16 तक महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाय। वसूली नहीं होने पर एफ.आई.आर दर्ज कर साक्ष्य के साथ छाया प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाय।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।

		<p>आगे, लेखापाल रोकड़ बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि लेखापाल द्वारा इन राशियों का समायोजन अनियमित तरीके से कुछ पुराने एवं तात्कालिक अभिश्रवों के विरुद्ध प्रत्यक्ष व्यय दिखाकर एवं कुछ राशि रोकड़पाल के पास (हाथ में) दिखाकर राशि 1104673.60 रु० का समांजन कर दिया गया। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है।</p> <p>लेखा द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बही में उपरोक्त नहीं जमा की गई राशि के विरुद्ध अभिश्रव संख्या 377 से 405 दिनांक 31.03.09 द्वारा 776291.80 रु० का व्यय दर्शाया गया एवं शेष राशि 328381.00रु० (1104673.60 -776291.80) रोकड़पाल के पास दिखाया गया। रोकड़पाल के पास की राशि 07.10.2009 तक निधि में जमा नहीं की गयी थी।</p> <p>आगे अभिश्रव की जाँच के क्रम में पाया गया कि अभिश्रव संख्या 377 से 405 दिनांक 31.03.09 तक में कुल 997971.95 रु० शामिल थी जिसमें 2,21,680.00 रु० का अग्रिम का समायोजन रोकड़पाल के नाम से था एवं शेष राशि 7,76,291.80 रु० अनियमित तरीके से कुछ पुराने एवं तात्कालिक खर्चों के विरुद्ध विनियोजन कर दिया गया था।</p> <p>इन खर्चों हेतु अलग से कोई भी चेक निर्गत नहीं किया गया था। साथ ही नगद भुगतान करने एवं प्राप्त करने से संबंधित टिप्पणी भी अभिश्रवों में नहीं की गई थी।</p> <p>पुनः रोकड़पाल द्वारा वसुली राशि को अपने पास रखा जाना दुर्विनियोजन</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			का मामला है। अतः रू० 367791.00 (328381.00+39410.00) की वयुली हेतु अविलंब ठोस कार्रवाई की जाय तथा वसूली की सिथिति से इस कार्यालय को अवगत करायी जाय।				
5	नगर पंचायत कटैया, 22 (ii) प्रत्यक्ष (सीधा) विनियोग राशि- रू० 0.43 लाख	163/09-10	रोकड़ बही के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि राशि रू० 42785.45 को सीधा अभिश्रवों द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यय किया गया था। व्यय किये गये राशि का संधारण अभिश्रव पंजी में संधारित किया गया था, जिसमें अभिश्रवों का विवरण दिया गया था। लेकिन अंकक्षण में उक्त अभिश्रवों को उपलब्ध नहीं कराया गया था। पुनः किये गये व्यय कि राशि रू० 42785.45 से संबंध अभिश्रव नहीं उपलब्ध कराने के कारण यह स्पष्ट नहीं हुआ कि व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत था या नहीं। अतः 42785.45 रू० की वसूली संबंधी जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत कटैया ने पत्रांक- 148 दिनांक- 28.11.12 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अंकक्षण प्रतिवेदन सं०- 163/2009-10 की कंडिका 11(II) के संबंध में कहा है कि राशि का व्यय विभिन्न मदों (कार्यालय व्यय) कार्यहित में आवश्यकतानुसार किया गया है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	बैठक में अनुपस्थित।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण माँगी जाय तथा वेतन रोक ली जाय।	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह - संयुक्त सचिव (स्थापना प्रभारी), नगर विकास एवं आवास विभाग।
6	नगर पंचायत मखदुमपुर, 22 (1) अवैध/अनियमित नियुक्तियों (पिछले अंकक्षण रिपोर्ट का विस्तार)	180/09-10	नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा सृजित 9 पदों के आलोक में नगर पंचायत मखदुमपुर में गठित समिति की बैठक दिनांक- 23.03.96 के संकल्प संख्या 12 के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद दिनांक 17.01.98 को समिति की बैठक में संकल्प संख्या 5 के द्वारा इन सभी दैनिक मजदूरों को नियमित करने का प्रस्ताव पारित कर नगर विकास विभाग, बिहार सरकार को अनुमति प्रदान करने हेतु भेजी गयी थी।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मखदुमपुर ने पत्रांक- 40 दिनांक- 27.11.12 द्वारा सूचित किया है कि अंकक्षण प्रतिवेदन संख्या- 2005-06 से 2008-09 के अंकक्षण प्रतिवेदन के कंडिका- 22 का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया है।	इससे संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं है उसे कार्यालय में खोजा जा रहा है।	इस संबंध में कार्रवाई हुई या नहीं। यदि संबंधित पदाधिकारी कार्यरत हैं तो प्रपत्र-क गठित कर प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक विभाग को अनिवार्य	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।

		परंतु सरकार से इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। फिर भी समिति की बैठक दिनांक 17.01.98 के संकल्प के अनुपालन में उपाध्यक्ष सह कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ज्ञापांक संख्या 8/98 दिनांक 20.01.98 के द्वारा कर्मचारियों को विभिन्न वेतनमानों में दिनांक 17.01.98 से सेवा में नियमित करने का कार्यालय आदेश निर्गत किया गया था। सरकार के द्वारा समय समय पर आदेश की जाती रही है कि किसी भी स्थिति में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की बहाली नहीं की जाय परंतु संबंधित नियुक्ति की संचिका से पता चला कि सरकार के आदेश को न मानते अवैध तरीके से दैनिक कर्मी पर बहाली कर ली गयी तथा वेतनमान भी लागू कर दी गयी थी जो पूर्णतः गलत थी।			रूप से उपलब्ध कराये।	
(2) सृजित पदों के अलावे अवैध नियुक्तियों राशि- रु० 5.00 लाख	180/09-10	सृजित 9 पदों के अलावे भी कुछ व्यक्तियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कराया जा रहा था। जब सरकार से सृजित पद 9 पर कार्यरत कर्मचारियों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई की तो ऐसी स्थिति में फिर चार व्यक्तियों को दैनिक वेतन पर रखना पूर्णतः गलत है। अतः- जब तक सरकार से ये सभी अवैध नियुक्तियों तो की ही गई थी लेकिन बिना किसी अनुमति के वेतनमान पर नियुक्ति करते हुए भुगतान किया जा रहा है जो पूर्णतः गलत है। अतः जबतक सरकार से ये सभी कर्मचारियों को स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती किसी तरह का भुगतान पर	कार्यपालक पदाधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन हेतु बार-बार सारित करने के बावजूद प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा पिछली बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में आंशिक प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।		पूर्ण प्रतिवेदन 04.07.16 तक महालेखाकार एवं विभाग को उपलब्ध कराये।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।

			अविलंब रोक गलायी जाय। तब तक भुगतान की गई कुल राशि 499765.00 रु० अंकेक्षण आपति में रखी जाती है।				
7	नगर पंचायत रोसड़ा अ. 54380.00 ब. 468736.00 स. 2760.00 द. 88253.00 <hr/> 6,14,129.00 6.14 लाख	241/09-10	अ. विभिन्न कर संग्राहकों के डी.सी. आर के हस्त प्राप्ति के नमूना जाँच में पाया गया कि रु० 543801.00 (रुपये चौवन हजार तीन सौ अस्सी मात्र) संग्रहण अभिकर्ता द्वारा नाजिर को कम जमा/जमा नहीं किया गया था। ब. रु० 468736.00 (रुपया चार लाख सतासी हजार सात सौ छत्तीस मात्र) श्री उपेन्द्र ठाकुर द्वारा कम जमा/जमा नहीं किया गया था। स. श्री जय चन्द्र प्रसाद सिंह कर संग्राहक द्वारा संग्रहण कर रु० 2760/- (रुपये दो हजार सात सौ साठ) नाजिर को जमा नहीं किया गया था। द. श्री शशि प्रसाद कर संग्राहक द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान रु० 1,32,285.00 (रु० एक लाख बत्तीस हजार दो सौ पच्चासी मात्र) संग्रहण किया गया था। परन्तु उनके द्वारा नाजिर को रु० 88,253.00 (रुपये अठ्ठासी हजार दो सौ तीरपन मात्र) कम जमा किया गया था।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत रोसड़ा ने पत्रांक- 762 दिनांक- 19.10.12 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या- 241/09-10 के आलोक में बिन्दुवार प्रतिवेदन देते हुए कहा गया है कि जिन कर्मियों ने आपति के क्रम में राशि को जमाकर दिये हैं या कार्यालय मद में खर्च की गयी है। राशि पारित विपत्र के भुगतान से कटौती कर नगर पंचायत कोष में जमा करा दी गयी है।	बैठक में अनुपस्थित।	जमा की गई राशि से संबंधित प्रतिवेदन साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध करायें। विपत्र पारित किया गया है और कैसे किया गया है इससे संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 04.07.16 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।
8	नगर परिषद फुलवारीशरीफ, 14. राशि की नहीं/कम अदायगी	328/09-10	नगर परिषद कर्मियों द्वारा एकमुश्त राशि रु० 711572.00 (684872 + 262700) कम जमा/जमा नहीं पाया गया। उद्धृत किये जाने पर लेखापरीक्षा के क्रम में रु० 2627600.00 (रु० छब्बीस हजार सात सौ मात्र) बैंक में जमा किया गया था जिसकी बैंक अदायगी अगली लेखा परीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी। शेष राशि रु०	नगर परिषद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त कडिका में दर्शाये गये राशि के विरुद्ध पूर्व में पारित अभिश्रवों तथा कर संग्रहकों से वसूल की गई राशि का विवरण संलग्न करते हुए उचित कार्रवाई हेतु समिपत किया जा रहा है।	5.00 लाख रुपये जमा कर दी गई है। शेष राशि जमा कर ली जायेगी।	शेष राशि शीघ्र जमा करायें। नहीं जमा करने पर एफ.आई. आर. दर्ज करें तथा साक्ष्य सहित	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।

			684872.00 (छ: लाख चौरासी हजार आठ सौ बहतर मात्र) की वसूली कर नगर पालिका निधि में जमा की जा सकती है एवं अगली लेखापरीक्षा को दिखाया जा सकता है।			प्रतिवेदन विभाग एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराये।	
26. श्रमिक एवं सामग्री के बिना कार्य का कार्यान्वयन	328/09-10	वर्ष 2007-08 के दौरान स्व-श्रोतो से संचालित योजनाओं से संबंधित मापी पुस्तिका एवं अन्य संबंधित प्रपत्रों के नमूना जॉच में उजागर हुआ कि चापाकल विभागीय स्तर से धँसाया गया था एवं समझौता विभागीय कर्मी से किया गया था। नियमानुसार भुगतान मास्टर रॉल एवं उपयोग किए सामग्री के आधार पर होना था परंतु योजनायें पूर्ण हो गयी थी एवं बिना श्रमिक के उपयोग एवं बिना सामग्री के उपयोग के भुगतान कर दिया गया था। अतः योजनाओं का कार्यान्वयन संदिग्ध प्रतीत होता है। चूँकि संपूर्ण भुगतये राशि रु० 66838.00 लेखा परीक्षा का स्वीकार्य नहीं है। उक्त राशि कार्यान्वयन एजेंसी कनीय अभियंता से वसूल कर नगर परिषद निधि में जमा की जा सकती है।		दिनांक 04.07.16 तक प्रतिवेदित कर दिया जायेगा।	अभिभव/सा मागी विपत्र प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक महालेखकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।	
27. जाली हाजिरी सूची	328/09-10	वर्ष 2007-08 से संबंधित योजनाओं को संचिका के नमूना जॉच में पया गया कि (1) योजना संख्या- 2/07-08 की हाजिरी सूची- 1 (क्रम सं० 03, 25, 39) एवं योजना सं०- 3/07-08 की हाजिरी सूची-1 (क्रम सं०- 25, 46, 57) में दिनांक- 10.12.07 से दिनांक- 17.12.07 की अवधि में तीन श्रमिकों के नाम समान पर उपनाम अलग-अलग था। (II) योजना सं०- 3/07-08 के दिनांक- 10.12.07 से दिनांक 17.12.		प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक उपलब्ध करा दिया जयेगा।	प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराये।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।	

			07 की अवधि के हाजिरी सूची-। (क्रम सं०-8, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 24) तथा योजना सं०- 4/07-08 के दिनांक- 15.12.07 से दिनांक- 22.12.07 की सूची-। (क्रम सं०-10, 7, 13, 14, 16, 42, 19, 49) में श्रमिकों के नाम सन्निहित तिथियों को एक समान थे।				
9	नगर निगम बेगुसराय 9 कम जमा/नहीं जमा राशि (6.11 लाख रुपये) राशि- रु० 2.84 लाख	329/09-10	रोकड़पाल, करदरोगा, विभिन्न कर संग्राहकों, टिन टिकट बेचने वाले कर संग्राहकों द्वारा राशि 610823.00 रुपये की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया था। हालांकि अंकेक्षण में आपत्ति उठाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों द्वारा 478553.00 रु० रोकड़पाल के पास विविध राशि द्वारा जमा किया गया जिसमें से रोकड़ पाल द्वारा 411810.00 रु० मात्र ही न०प० निधि में जमा किया जा सका। इस प्रकार रोकड़पाल द्वारा रु० 66743.00 खाता में जमा नहीं किया गया। 24.09.09 को रोकड़पाल की विविध रसीद देखने पर पाया कि रु० 66743.00 को लगाकर दिनांक 21.09.	श्री विनय कुमार वर्मा एवं अन्य के विरुद्ध राशि लंबित।	श्री विनय कुमार वर्मा के विरुद्ध 19.00 लाख रु० की राशि लंबित रहने के कारण एफ. आई.आर. दर्ज कर दिया गया। कर्मी सेवानिवृत्त हो गये।	एफ.आई. आर. की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार एवं विभाग उपलब्ध कराये।	संबंधित नगर आयुक्त

		<p>09 से 24.09.09 तक रोकड़पाल श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा विविध रसीद के द्वारा वसूल की गई राशि 151641.000 रूपये 24.09.09 तक बैंक में प्रेषित नहीं किया गया था।</p> <p>610823.00 रूपये के विरुद्ध 132270.00 रूपये विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा अंकेक्षण की तिथि तक जमा नहीं किया गया था।</p> <p>अतः राशि 283911.00 रूपये (24.09.09 तक वसूली राशि) की वसूली रोकड़पाल विभिन्न कर संग्राहकों से कर बैंक में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।</p>				
नगर निगम, बेगुसराय भविष्य निधि की राशि का प्रत्यक्ष दुर्विनियोजन राशि-रु0 7.55 लाख	447/08-09	<p>नगर परिषद के कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौती की राशि यूको बैंक, बेगुसराय के खाता सं- 472 में जमा किया गया। जो सभी कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त खाता है एवं इसके लिए अलग से रोकड़ बही संधारण किया जाता है परन्तु वर्ष 2005 से इसका संधारण नहीं हो रहा है। कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारियों के कटौती के लिए पंजी का संधारण किया जाता है एवं उसी के अनुसार कर्मचारियों को भविष्य निधि से अग्रिम एवं अंतिम भुगतान किया जाता है। वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक की नमूना जाँच में पाया गया कि कुछ कर्मचारियों ने अपने कटौती से कई गुणा राशि भविष्य निधि से अग्रिम के रूप में निकासी कर ली है। उपरोक्त सिर्फ कुछ उदाहरण है जिनके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि मद में से दूसरे कर्मचारियों की राशि की निकासी कर ली गई है जिससे उनको उस पर</p>			<p>कर्मचारी भविष्य निधि में राशि शीघ्र जमा करायें एवं तत्कालीन संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करायें। इससे संबंधित प्रतिवदेन साक्ष्य सहित महालेखाकार एवं विभाग को दिनांक 11.07.16 तक उपलब्ध करायें।</p>	संबंधित नगर आयुक्त

			होने वाले ब्याज से भी वंचित रहना पड़ा।				
	नगर निगम बेगुसराय (1) होल्डिंग रसीद में छेड़छाड़ एवं धोखाधड़ी कर संग्रहण की राशि का गबन रु0 31.03 लाख	712/07-08	(II) होल्डिंग रसीद की नमूना जाँच में पाया गया कि श्री राजेश कुमार, कर संग्राहक (कमीशन एजेंट) द्वारा कर संग्रहण की राशि 31038.00 रु0 नगर परिषद निधि में कम जमा की गई। (विस्तृत विवरणी विवरण सं0- 11 में दर्शाया गया है) यह राशि कर संग्राहक द्वारा धोखाधड़ी कर एवं होल्डिंग रसीद में छेड़छाड़ कर गबन किया गया			संबंधित के विरुद्ध एफ. आई.आर. दर्ज कर विभाग को उसकी छाया प्रति भेजे।	संबंधित नगर आयुक्त
	(2) कम/नहीं जमा (रोकड़पाल द्वारा) रु0 17.98 लाख राशि रु0 18.28 लाख		(IV) संग्रहण लेखा की नमूना जाँच पाया गया कि अंकेक्षण वर्ष के दौरान रोकड़पालों द्वारा प्राप्त राशि, दुकान किराया की संग्रह राशि आदि रु0 1797661.94 को नगर परिषद निधि में कम/नहीं जमा की गई।			संबंधित के विरुद्ध एफ. आई.आर. दर्ज कर उसकी छाया प्रति विभाग को भेजे।	संबंधित नगर आयुक्त
10	नगर पंचायत अमरपुर, राशि जमा नहीं किया जाना रु0- 1.88 लाख	363/09-10	नाजिर द्वारा विभिन्न कर संग्राहकों से रु0 188123.00 संग्रहण किया गया था। परन्तु उक्त राशि अद्यतन तिथि तक नगर पंचायत निधि में जमा नहीं की गयी थी। उक्त राशि नाजिर से वसूली की जा सकती है एवं निधि में जमा को अगली लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत अमरपुर ने पत्रांक- 118 दिनांक- 16.04. 12 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या- 363/09-10 के पारा सं0- 10 का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार बिहार, पटना को भेजा गया है।	1.88 लाख रुपये जमा कर दी गई है।	प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य साहत दिनांक 04.07.16 तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार एवं विभाग को उपलब्ध करायें।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।

11	नगर परिषद मोतिहारी 23 अनियमित/अधिक भुगतान राशि रू0- 2.32 लाख	448/09- 10	बिहार सरकार के नियमानुसार कर्मचारी की सेवा निवृत्त 60 वर्ष की उम्र या 40 वर्ष की नोकरी जो पहले हो उसी माह के अन्त में सेवा निवृत्त होना चाहिए था। परन्तु वेतन मांग पत्र के जाँच क्रम में पाया गया कि कर्मचारियों को सेवा निवृत्त की तिथि के बाद भी रखा गया। अगर उपरोक्त कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका इत्यादि की जाँच कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित सहायक या लेखा शाखा द्वारा किया गया होता तो इस प्रकार की गंभीर किस्म की अनियमितता नहीं होती। उपरोक्त कर्मचारियों को इन अतिरिक्त दिनों तक कार्य करने के बदले कुल 231689.00 रू0 का भुगतान किया गया। अतः 231689.00 रू0 की वसूली संबंधित जिम्मेवार अधिकारियों/ कर्मचारियों से की जाए तथ नगर परिषद निधि में जमा कर इस कार्यलय को सूचित किया जाय।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मोतिहारी के पत्रांक- 1832 दिनांक- 04.12.12 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि चूंकि पूर्व के सरकारी नियम ऐसा प्रावधान था। परन्तु नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र संख्या- 995 दिनांक- 13.03.07 द्वारा संशोधन किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारियों को सिर्फ 60 वर्ष के उम्र में ही सेवा निवृत्त किया जाना है।	बैठक में विलम्ब पहुँचे।	स्पष्टीकरण पूछा जाय। प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दें।	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव।
12	नगर पंचायत सोनपुर 19, निष्फल व्यय रू0 4.58 लाख	467/09- 10	कैशबुक की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा किराया पर ट्रेक्टर नहीं लेने के कारण ट्रेलर माउन्टेड सक्शन मशीन खरीदते समय से ही बेकार पड़ा था। नगर पंचायत द्वारा न ही सक्शन मशीन को किराया पर देकर राशि अर्जित की गयी एवं न ही उसके पास कोई ट्रेक्टर था। अतः मशीन की खरीद निष्फल थी एवं मशीन की कीमत रू0 458036.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जा सकती है।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सोनपुर ने पत्रांक- 596 दिनांक- 08.10.12 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या- 467/09-10 पर 4.58 लाख रूपया पर आपत्ति है। इस संबंध में कहा गया है कि 458038.00 रू में 3500 लीटर का एक एक्सल मशीन की खरीदारी की गयी है।	बैठक में अनुपस्थित।	स्पष्टीकरण पूछा जाय तथा वेतन रोक दी जाय।	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव।
13	नगर परिषद सहरसा (अवधि 2005-06 से 2006-07)	07/08- 09	बिहार नगर पालिका लेखा नियम, 1928 के नियम 22 के अनुसार वसूले	कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि दुर्धिनियोग एवं कम जमा की	राशि जमा कर दी गई	जमा की गई राशि से	संबंधित कार्यपालक

	वसूली राशि का दुर्विनियोग/जमा नहीं राशि रू0 10.31 लाख		गये राजस्व को नगरपालिका निधि में जमा किया जाना है तथा किसी भी परिस्थिति में प्रत्यक्ष रूप से खर्च नहीं किया जाना है। किन्तु वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में रोकड़पाल के द्वारा विभिन्न मदों से 3816026.37 रू0 की राजस्व की प्राप्ति हुई जिसमें से मात्र 2784824.00 रू0 ही परिषद के खाते में जमा किया गया अर्थात् 1031202.37 रू0 (3816026.37-2784824) कम जमा किया गया।	राशि रू0 1031202.37 की वसूली श्री डी0 साह एवं इलाहक अहमद से की जाने की प्रक्रिया की जा रही है।	है।	संबंधित चलान की छाया प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार एवं विभाग को उपलब्ध करायें।	पदाधिकारी :						
14	नगर परिषद रक्सौल (अवधि 2002-03 से 2007-08) नगर परिषद निधि का गबन राशि रू0 16.71 लाख P.L A/s क. 1236943.00 G.P.F ख. 229754.00 122759.00 ग. 78848.00 3047.00 16,71,351.00	213/08-09	(क) रोकड़पाल को रोकड़बही तथा P/L खाता के मिलान के क्रम में पाया गया कि दिनांक- 07.03.02 से 05.05.2004 तक की अवधि में श्री सुरेन्द्र किशोर तिवारी, रोकड़पाल द्वारा प्राप्त राशि खण्ड-खण्ड में अनियमित तरीके से जमा किया गया था। रोकड़बही के अनुसार दिनांक- 07.03.02 से 05.05.2004 तक की अवधि में निम्नलिखित राशि रोकड़पाल को प्राप्त हुई थी तथा P/L खाता में निम्न राशि जमा था। <table border="1" data-bbox="757 1066 1115 1305"> <tr> <td>रोकड़बही के अनुसार प्राप्त राशि</td> <td>रू0 2057771.00</td> </tr> <tr> <td>P/L खाता में जमा राशि</td> <td>रू0 820828.00</td> </tr> <tr> <td>कम जमा</td> <td>रू0 1236943.00</td> </tr> </table> (ख) नगर परिषद रक्सौल के कर्मचारियों के भविष्य निधि के कटौती की राशि तथा पासबुक पॉस्ट ऑफिस से मिलान करने पर पाया गया कि माह जुलाई 1999 से फरवरी 2004	रोकड़बही के अनुसार प्राप्त राशि	रू0 2057771.00	P/L खाता में जमा राशि	रू0 820828.00	कम जमा	रू0 1236943.00	कार्यपालक पदाधिकारी रक्सौल द्वारा सूचित किया गया है कि इस मामले में दोषी कर्मियों के विरुद्ध F.I.R दर्ज कर दी गयी है।	एफ.आई. दर्ज. की गई है।	एफ.आई. आर. की छाया प्रति तथा अद्वतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ दिनांक 04.07.16 तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार एवं विभाग को उपलब्ध करायें।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।
रोकड़बही के अनुसार प्राप्त राशि	रू0 2057771.00												
P/L खाता में जमा राशि	रू0 820828.00												
कम जमा	रू0 1236943.00												

			<p>तक भविष्य निधि (कर्मचारियों का) के कटौती की कुल राशि रू0 611415.00 की निकासी रोकड़पाल श्री सुरेन्द्र किशोर तिवारी द्वारा की गई थी, परन्तु श्री तिवारी द्वारा उस राशि में से मात्र रू0 381661.00 ही सभी कर्मचारियों के खाता में जमा कराया गया था। शेष राशि रू0 229754.00 (रू0 611415.00 - रू0 381661.00) गबन कर लिया गया था।</p> <p>उक्त राशि भविष्य निधि का था अतः इस राशि पर दिनांक- 31.03.08 तक 5 % की दर से सूद की राशि रू0 122759.00 होता है इस प्रकार कुल राशि रू0 352513.00 (रू0 229754 + रू0 122759.00) का गबन हो चुका था।</p> <p>(ग) पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन 46/2002-03 के पास सं0- 13 (i) के अनुसार कम जमा राशि रू0 78848.00 था इसका विस्तृत विवरणी परशिष्ट II B पर दिया गया है।</p> <p>पुनः इसी प्रतिवेदन के कड़िका सं0- 28(iv) पर रू0 3047.00 गंदीबस्ती का नहीं जमा किया गया था। इस प्रकार कुल राशि रू0 1671351.00 का गबन श्री तिवारी द्वारा किया गया था।</p>				
15	नगर पंचायत, खगड़िया लेखापरीक्षा टिप्पणी	248/08-09	<p>हाजिरी पंजी- कुल 7804 श्रमिक (964 मिस्त्री + 6840 श्रमिक) इस योजना (योजना सं0- 14/2003-04) में कार्यरत थे एवं रू0 580800.00 उन्हें भुगतान किया गया था। हाजिरी पंजी के अवलोकन में यह पाया गया कि कार्य मई-2004 में शुरू हुआ था एवं नवम्बर 2005 तक जारी था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य जून-2004 (18.06.2004) को पूरा हो</p>	कार्यपालक पदाधिकारी खगड़िया द्वारा प्रतिवेदित किया है कि छः हजार मजदूरों का अधिक भुगतान राशि रू0 408000.00 वसूली हेतु श्री रमेश कुमार सहायक से कारणपृच्छा की गयी। स्पष्टीकरण में कहा गया कि कनिय/सहायक/कार्यपालक अभियंता के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य संपादित हुआ। जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जाँच हेतु एवं तकनीकी पदाधिकारी का टीम गठित की गयी है।	बैठक में अनुपस्थित।	स्पष्टीकरण पूछा जाय तथा वेतन रोक दिया जाय। जिला पदाधिकारी को इस कड़िका के संबंध में	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव।

			<p>चुका था एवं संबंधित प्रमाण-पत्र मापी पुस्तिका में अंकित था। पुनः हाजिरी पंजी पृष्ठ में पाया गया था कि हाजिरी पंजी के पृष्ठ सं०- 8 से 57 तक प्रत्येक पृष्ठ में 12 श्रमिक 10 दिनों तक व्यस्त थे। उक्त सभी पृष्ठों में उन्हीं 12 श्रमिकों को कार्यरत दिखलाया गया था। अतः श्रमिकों को किया गया भुगतान रू० 4080000.00 अनियमित था। 12 श्रमिक x 10 दिन x 50 हाजिरी पंजी पृष्ठ x @ रू० 68 प्रतिदिन = 408000.00</p>	<p>प्रतिवेदन प्राप्त होते ही वसूली की कार्यवाई आरम्भ की जायेगी।</p>		<p>अर्द्ध सरकारी पत्र लिखें।</p>	
16	<p>नगर परिषद समस्तीपुर एक ही माह के लिए वेतन का दोहरा भुगतान रू० 0.93 लाख</p>	384/08-09	<p>2007-08 से संबंधित भुगतान अभिश्रवों के नमूना जाँच में प्रकटित हुआ है कि कई मामलों में कर्मचारियों को एक ही माह के लिए वेतन का दोहरा भुगतान हुआ था जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता था। लेखा परीक्षा में छः कर्मियों के भुगतान अभिश्रवों के विस्तृत जाँच में प्रकटित हुआ कि रू० 933082.00 का दोहरा भुगतान किया गया था। वेतन पंजी का संधारण नहीं होने एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जाँच की कमी के कारण वेतन का दोहरा भुगतान संभव हुआ था।</p>	<p>कार्यपालक पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उप सचिव सह निदेशक नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 1327 दिनांक- 17.03.2010 के आलोक में छः कर्मचारियों का दोहरा भुगतान को वेतन के विरुद्ध अग्रिम के रूप में उनके कार्यालय आदेश 252 दिनांक- 20.03.2010 द्वारा समायोजित कर लिया गया।</p>	<p>समायोजन कर लिया गया है।</p>	<p>प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित दिनांक 04.07.16 तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार एवं विभाग को उपलब्ध करायें।</p>	<p>संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।</p>
17	<p>नगर परिषद डेहरी डालमियानगर धोखा-घड़ी द्वारा राशि का गबन राशि रू० 0.17 लाख</p>	405/08-09	<p>नगर परिषद डेहरी डालमियानगर, वर्ष 06-07 एवं 07-08 तक के अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि विधि रसीद से संबंधित एक छायाप्रति रसीद (न० स्पष्ट नहीं) श्री अशोक कुमार, प्रधान सहायक सह लेखापाल के विधि रसीद वसूली पंजी से प्राप्त हुआ, जिसकी छायाप्रति की जाँच के क्रम में पाया गया कि इस रसीद की राशि वसूली से संबंधित वसूली दैनिक पंजी</p>	<p>नगर परिषद द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अशोक कुमार प्रधान सहायक के द्वारा गबन की गई राशि रू० 16,600.00 नगर परिषद निधि में पंजाब नेशनल बैंक डेहरी के चेक सं०- 521195 दिनांक- 30.10.2012 के द्वारा जमा कर दी गई है एवं नगर थाना डेहरी में थाना कांड सं०- 43 दिनांक- 21.01.2013 द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज की गई।</p>	<p>इस संबंध में एफ.आई. आर. दर्ज करा दी गई है।</p>	<p>एफ आई. आर. की छाया प्रति एवं अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन सहित दिनांक 04.07.16 तक</p>	<p>संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।</p>